न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 151/2020
3. उनवान : सरकार जरिये मोहन लाल देव, प्रवर्तन अधिकारी
बनाम
श्री अशोक कुमार लालवानी पुत्र श्री शोभाराम लालवानी, निवासी प्लाट नं. 13/163, नीलम पथ सेक्टर 13, मानसरोवर जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) सत्यवान खेमचंदानी अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मोहन लाल देव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 11.12.2011 को शिकायत की जांच हेतु श्री अशोक कुमार लालवानी के निवास पर कार्यवाही के दौरान 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (3बीपीसी+2एचपीसी) मय एलपीजी 30.400 किग्रा., एक आईओसी वाणिज्यिक सिलेण्डर मय गैस 19 किग्रा., 32 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर मय गैस 32.5 किग्रा. एवं 1 खाली गो गैस सिलेण्डर कुल 81.900 किग्रा. एलपीजी व 5 बांसुरी(3 पीतल+2 लोहे), 1 लोहे का कांटा, 5 लोहे के बांट व दो लोहे के पाने जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगीनामा, फर्द तलपट्टी आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 19.03.2012 को अधिवक्ता श्री सत्यवान खेमचंदानी ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.05.2015 को पेश जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी के निवास से किसी भी प्रकार से कोई जब्ती नहीं की गयी है। अप्रार्थी से जबरदस्ती साक्ष्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अप्रार्थी का उक्त जब्त सामान से कोई लेना देना नहीं है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थन पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 11.12.2011 को जब्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (3बीपीसी+2एचपीसी) मय एलपीजी 30.400 किग्रा., एक आईओसी वाणिज्यिक सिलेण्डर मय गैस 19 किग्रा., 32 छोटे नोन आईएसआई मार्का सिलेण्डर मय गैस 32.5 किग्रा. एवं 1 खाली गो गैस सिलेण्डर कुल 81.900 किग्रा. एलपीजी व 5 बांसुरी(3 पीतल+2 लोहे), 1 लोहे का कांटा, 5 लोहे के बांट व दो लोहे के पाने द्वारा अवैध रूप से घरेलू सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग करके उनके भण्डारण व विक्रय का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये, ना ही कोई सन्तोषप्रद जवाब दिया गया। बल्कि जवाब में अंकित किया कि उक्त जब्त सामग्री से उसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। दौराने जांच अप्रार्थी घरेलू सिलेण्डर से बांसुरी की सहायता से गैस निकालकर छोटे सिलेण्डर में हस्तानान्तरण करता हुआ पाया गया। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान (फर्दानुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।